डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 मार्च 2001—फाल्गुन 22, शक 1922

राज भवन

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-1/2001/रास/यू-1.—म. प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं दिनेश नंदन सहाय, कुलाधिपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों की एक तालिका अनुशंसित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करता हूं :-

(1)	न्यायमूर्ति श्री ऊंगाजान आऊंशी शिशाक, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	कुलाधिपति द्वारा मनोनीत
(2)	डॉ. बी. के. श्रीवास्तव, भूतपूर्व कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर.	कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत
(3)	प्रो. पी. एल. चतुर्वेदी, भूतपूर्व कुलपति, एम. डी. एस. विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत

2. और, यह कि मैं न्यायमूर्ति श्री ऊंगाजान आऊंशी शिशाक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं.

3. यह समिति अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में उक्त तालिका प्रस्तुत करेगी.

सही/-
(दिनेश नन्दन सहाय)
कुलाधिपति,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर.

Raipur, the 12th March 2001

No. F 1-1/2001/RB/U-1.—In exercise of powers conferred under sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam,1973 (No. 22 of 1973) I, Dinesh Nandan Sahaya, Kuladhipati, Pt. Ravishankar Shukla Vishwavidyalaya, Raipur, hereby appoint a Committee consisting of the following persons namely :—

(1) Justice Shri Wungazan Awangshi Shishak, Chief Justice, High Court, Bilaspur. — Nominated by the Kuladhipati.

(2) Dr. B. K. Srivastava, Ex-Vice-Chancellor, Pt. Ravishankar Shukla Vishwavidyalaya, Raipur. — Elected by the Executive Council.

(3) Prof. P. L. Chaturvedi, Ex-Vice-Chancellor, M.D.S. Vishwavidyalaya, Ajmer (Raj.) — Nominated by University Grants Commission.

to recommend a panel of not less than three persons for the office of the Kulpati of the said Vishwavidyalaya.

2. Futhter, I appoint Justice Shri Wungazan Awangshi Shishak to be the Chairman of the Committee.

3. The Committee shall submit the panel within six weeks from the date of issue of this notification.

Sd/-
(D. N. Sahaya)
Kuladhipati,
Pt. Ravishankar Shukla Vishwavidyalaya,
Raipur.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—200'.